

153

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर, बॉर्डे कॅम्प उज्जैन

पुनर्स्थापना आवेदन पत्र क्र. /2017

संदर्भ - निगरानी/प्रथम/2346/2017 PBR/पुनर्स्थापना/उज्जैन/भू-र/2017/2824

श्री मनीष मेनका श्री
उज्जैन न्यायालय उज्जैन
उत्तुल
17-8-17

अजीत कटियार पिता श्री सुभाषचन्द्र जी कटियार
उम्र अंदाजन 51 वर्ष, धंधा कृषि एवं व्यापार,
निवासी गृह क्र. बी-6/3, महाकाल वाणिज्य
केन्द्र, नानाखेड़ा उज्जैन — आवेदक

विरुद्ध

1. गणेश पिता पाण्डुरंग केलकर
2. अरुण पिता पाण्डुरंग केलकर
3. सूर्यकांत पिता पाण्डुरंग केलकर
4. दिलीप पिता पाण्डुरंग केलकर
5. शारदा देवी पति गणेश केलकर
6. किर्तीवर्धन पिता गणेश केलकर
7. विजय पिता रूगनाथ
8. अरविन्द पिता रूगनाथ
9. श्रीनिवास पिता रूगनाथ
10. विश्वास पिता वामन
11. विकास पिता वामन
12. आशा पति गणेश केलकर
13. गजानंद पिता श्रीधर
14. कुसुम पति विनायक
15. श्रीनिवास पिता महेश्वर

सभी निवासीगण ब्राह्मण गली, बहादुरगंज उज्जैन

16. बबीता पति प्रदीप अग्रवाल,
17. अर्पित पिता विशाल अग्रवाल

निवासीगण-75, श्री विशाला क्षेत्र, देवासरोड़
उज्जैन — अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 35 सहपठित धारा 32 म.प्र.भू.रा.सं.

माननीय महोदय,


प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित आवेदन पत्र सादर प्रस्तुत है :-

1. यह कि, प्रार्थी के द्वारा इस माननीय न्यायालय के समक्ष

Ajeet Kumar

(Signature)

निगरानी प्र.क्र. प्रथम/निगरानी/2346/2017 विद्वान अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा द्वितीय अपील प्र.क्र./20/अपील/2015-16 में पारित आदेश जिसके द्वारा विद्वान अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभाग उज्जैन के प्रथम अपील प्र.क्र. 20/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 18-09-2015 की पुष्टि की गयी है एवं जिसके माध्यम से तहसीलदार उज्जैन द्वारा प्रकरण क्र. 6/अ-13/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 20-01-2015 की पुष्टि की गयी, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी।



नजीम कटिवाले / गणेश शर्मा
PBE/पुनर्स्थापन/अर्द्धी सं.शं./2017/2824

24.11.2017 आवेदक को अट से

सुखी लुमन शाह आयेभाषक
उपास्थित। लक लुने गये।
अनुपास्थिति का कारण समाधान-
कारक होने से भूक प्रकृत
कुलस्थापित किया जाता है।
उस प्रकार में कोई कामवाही
शेष नहीं होने से समाप्त
किया जाता है।

Sims
24/11/17

[Signature]
अध्यक्ष

[Signature]
श्री 2